भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

राज्यर सभा

लिखित प्रश्न सं. **2119** जिसका उत्तपर

सोमवार, 28 जुलाई, 2014/6 श्रावण, 1936 (शक) को दिया जाना है

बड़े, मध्य2म और लघु पत्त न

2119. श्री लाल सिंह वडोदिया :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े, मध्यकम और छोटे कितने बंदरगाह ;हैं

(ख) इनमें से गुजरात में कितने बड़े, मध्यम और छोटे बंदरगाह आज की तिथि के अनुसार कार्यान्वित हैं; और

(ग) सरकार की देश में कितने और कहां-कहां नये बंदरगाह बनाने की योजना है?

उत्तगर

पोत परिवहन राज्यर मंत्री

(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) और (ख) : भारतीय पत्त न अधिनियम़ 1908 के प्रावधानों के अनुसार भारत में पत्त्नों को महापत्तृनों और महापत्तननों के अलावा अन्यय पत्तनन के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जिन्हेंत सुविधा के लिए गैर-महापत्तवनों के रूप में भी श्रेणीबद्ध किया गया है। कथित अधिनियम की धारा 3(8) में दी गई परिभाषा के अनुसार जिसका अर्थ है कि कोई भी पत्तभन जिसे केन्द्री य सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके, अथवा कुछ समय के लिए प्रवृत्तक कोई कानून के अंतर्गत घोषित किया है, को महापत्तछन कहा जा सकता है।

देश में 12 महापत्त्न हैं और लगभग 200 अधिसूचित गैर-महापत्तोन हैं। महापत्तीन पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं , जबकि, गैर-महापत्तरन सम्बतन्धित समुद्री राज्यं जहां वे अवस्थित हैं , के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 200 अधिसूचित गैर-महापत्तंनों में से , करीब 61 गैर-महापत्तअनों को कार्गो की सम्भहलाई करने हेतु रिपोर्ट किया गया है।

(ग) : सरकार ने दो नए महापत्त न एक पश्चिम बंगाल में सागर आईलेंड में और दूसरा आंध्र प्रदेश में दुर्गाराजापट्टणम में स्था पित करने का निर्णय लिया है।

****